

167



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक /2014 रितीजन रि 4264-III/14

रिक्सा-
दुक
इलायिदक

श्री राजेश चंद्र कुंवर (सो)
आज दिनांक 23-12-14 को
प्रस्तुत किया गया
अ. नं.
23-12-14

महिला हुंदा पुत्री भागीरथ पत्नी राजाराम
कुमावह आयु 75 साल, व्यवसाय खेती,
निवासी ग्राम परिखटा अहीर परगना पोहरी
जिला धिावपुरी मध्यप्रदेश --- पुनरीक्षणार्थी
बनाम
मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला धिावपुरी
मध्यप्रदेश --- प्रत्यर्थी

23-12-2014

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश झू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेशां दिनांक 3-12-2014 जो न्यायालय
अथ कलेक्टर जिला धिावपुरी मध्यप्रदेश ने प्रकरण क्रमांक
22/14-15/बी-121 व उन्वान हुंदा बनाम मध्यप्रदेश शासन
में पारित किया गया, को अमरत तिये जाने बाबत ।

श्रीमान महोदय,

पुनरीक्षणार्थी की ओर से पुनरीक्षण सादन प्रस्तुत है :-

सिद्धत तथ य:-

§ 18 यहिक, वर्तमान प्रकरण के लिये पुनरीक्षणार्थी का धाजरा
खानदान निम्न प्रकार है :-

भागीरथ § मृत §

हुंदा § पुत्री §

लपड़ § पुत्र § मृत

लुखी § पत्नी § मृत

बसन्ती § पुत्री §

§ अने माता पिता के
जीवनकाल में निरस्तान
मृत §

शेष 2 पर

राजारी (रा. नं.)
कामाय मध्य-कानडा, कानडा


3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -निगरानी-4264-तीन/2014

जिला-शिवपुरी

महिला बुंदा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री राजीव रघुवंशी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 22/2014-15/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 03-12-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"> (आर0के0 जेन) 28/5/19 सदस्य</p> <p align="left">3</p>	